



EMPLOYMENT DEPARTMENT, HARYANA

रोजगार विभाग, हरियाणा



सेवा में

समी नियोजक,
मैनेजर HR
जिला गुरुग्राम।

कमांक :- EMI/CNV/2025 /333

दिनांक:- 01/04/25

विषय:- त्रैमास समाप्ति 31.03.2025 की ER-I रिपोर्ट भेजने बारे।

जैसा कि आपको विदित है रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के अंतर्गत प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरांत जिला गुरुग्राम में स्थित संस्थापनाओं द्वारा रोजगार कार्यालय, गुरुग्राम को ER-I रिपोर्ट भेजी जानी होती है। रोजगार विभाग की समी सेवाएँ अब ऑनलाईन हो चुकी है। अतः आप अपनी तथा जिले में स्थित अपने अधीनस्थ समी संस्थापनाओं की त्रैमास जनवरी-मार्च 2025 की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा 30.04.2025 तक hrex.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन भेजना सुनिश्चित करें। रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 की धारा 5(1) व नियमावली 1960 (CNV Act 1959) के पैरा के अनुसार उपरोक्त विवरणी सही तथा समय पर भेजना अनिवार्य है। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

यदि ER-I जमा करने में कोई बाधा आती है तो आप किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से/दूरभाष पर मण्डल रोजगार कार्यालय, गुरुग्राम से सम्पर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

नोट- कृपया करके अपनी ऑनलाईन प्रोफाइल को hrex.gov.in पोर्टल पर अपडेट करके ही ER-I भरना सुनिश्चित करें।

रीतू हुड्डा
मण्डल रोजगार अधिकारी
गुरुग्राम

Divisional Employment Exchange, Gurugram

Office :- Room No. 513-514, 5th floor, Mini Secretariat, Gurugram

Email - dlegurugram@gmail.com, Phone No. 0124-2322030